6h9L
टे1702.56

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./संस्था/2021/1920-28 दिनांक 12.07.2021

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह–7/2021 दिनांक 26.06.2021 तथा 10.07.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन–अनुशासन दिशा–निर्देश 3.0 व 4.0 जारी किये हैं। इन निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्यालय जिनमें कम–से–कम 60 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा वैक्सीन की प्रथम डोज ली जा चुकी है, उनमें 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति अनुमत होगी। चूंकि आयोग के 60 अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा वैक्सीन की प्रथम डोज जी जा चुकी है। अतः गृह विभाग के उक्त आदेशों के अनुसरण में निर्देशानुसार राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समस्त अधिकारी/कार्मिक प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर राजकार्य संपादित करेगें।

Sd/-

(ममता राव)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम।
3. डिप्टी रजिस्ट्रार
4. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करें।
5. गार्ड प्रभारी को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली

उप सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर